



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 281]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 22, 2016/वैशाख 2, 1938

No. 281]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 22, 2016/VAISAKHA 2, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2016,

सा. का. नि. 437(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 35 के खंड (ज) के साथ पठित धारा 12 और धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और अन्य सेवा शर्तों) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय हरित अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और अन्य सेवा शर्तों) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(2) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और अन्य सेवा शर्तों) नियम, 2011 में अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

"अनुसूची"

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनबैंड और ग्रेड अथवा वेतनमान	चयन पद हे या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. रजिस्ट्रार	5 (2016). * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	वेतन बैंड-4; 37400- 67000/- रु. और ग्रेड वेतन 8700/-रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति:- ऐसा उप रजिस्ट्रार जिसने राष्ट्रीय हूरित अधिकरण में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड-3, 15600-39100/- रु. में 7600/- रु. के ग्रेड वेतन में पांच वर्ष की सेवा की कर चुके हों। टिप्पण 1.- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2.- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति :- ऐसे अधिकारी जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में बेचलर डिग्री धारण किए हों और जो : (क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों या (ख) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में वेतन बैंड-3, 15600-39100/- रु. में ग्रेड वेतन 7600/- रु. के पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों ; या (ग) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में वेतन बैंड-3, 15600-39100/-रु., ग्रेड वेतन 6600 रु. के पद पर दस वर्ष नियमित सेवा कर चुके हों।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- (1) अधिकरण का अध्यक्ष - अध्यक्ष ; (2) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट न्यायिक सदस्य - सदस्य ; (3) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट - सदस्य ; (4) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य।	लागू नहीं होता।
टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3.- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. उप रजिस्ट्रार	5 (2016). * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	वेतन बैंड-3; 15600-39100/- रु. और ग्रेड वेतन 7600/- रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति:- ऐसा सहायक रजिस्ट्रार जिसने राष्ट्रीय हरित अधिकरण में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड-3, 15600-39100/- रु. में 6600/- रु. के ग्रेड वेतन में पांच वर्ष की सेवा की हो। टिप्पण 1.- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2.- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति :- ऐसे अधिकारी जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में बेचलर डिग्री धारण किए हों और जो : (क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों या (ख) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में वेतन बैंड-3, 15600-39100/- रु. में ग्रेड वेतन 6600/- रु. के पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- (1) अधिकरण का अध्यक्ष - अध्यक्ष ; (2) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट न्यायिक सदस्य - सदस्य; (3) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नाम नामनिर्दिष्ट - सदस्य ; (4) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य।	लागू नहीं होता।

टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3.- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. सहायक रजिस्ट्रार	5 (2016). * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	वेतन बैंड-3; 15600-39100/- रु. और ग्रेड वेतन 6600/- रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति:- ऐसे अधिकारी जो विधि में स्नातक उपाधि धारण किए हों और जिन्होंने राष्ट्रीय हरित अधिकरण में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड-2, 9300-34800/- रु. में 5400/- रु. के ग्रेड वेतन में पांच वर्ष की सेवा की हो या वेतन बैंड-2, 9300-34800/- रु. में 4800/- रु. के ग्रेड वेतन में छह वर्ष की सेवा कर चुके हों। टिप्पण 1.- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिबीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2.- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति :- ऐसे अधिकारी जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक उपाधि धारण किए हों और जो : (क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों, या (ख) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में वेतन बैंड-2, 9300-34800/- रु. में ग्रेड वेतन 5400/-रु. में पांच वर्ष की या ग्रेड वेतन 4800/- रु. में छह वर्ष की नियमित सेवा या ग्रेड वेतन 4600/- रु. में सात वर्ष की नियमित सेवा या ग्रेड वेतन 4200/- रु. में दस वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- (1) अधिकरण का अध्यक्ष - अध्यक्ष ; (2) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट न्यायिक सदस्य - सदस्य; (3) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट - सदस्य ; (4) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य- सदस्य।	लागू नहीं होता।

टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी संक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3.- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4. उप लेखा नियंत्रक	1 (2016). * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	वेतन बैंड-3; 15600- 39100/- रु. और ग्रेड वेतन 6600/- रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति:- ऐसा लेखाधिकारी जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड-2, 9300-34800/- रु. में 5400/- रु. के ग्रेड वेतन में पांच वर्ष की सेवा कर चुके हों। टिप्पण 1.- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2.- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति :- ऐसे अधिकारी जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में 6600/-रु. के ग्रेड वेतनमान में उप लेखा नियंत्रक या सदृश पद धारण किए हों या जो 5400/-रु. के ग्रेड वेतन में पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों या जो 4800/-रु. के ग्रेड वेतन में छह वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों या जो 4600/-रु. के ग्रेड वेतन में सात वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों या जो किसी सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकाय अथवा सांविधिक निकाय में 4200/-रु. के ग्रेड वेतन में रोकड़, लेखा, बजट के क्षेत्र में दस वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- (1) अधिकरण का अध्यक्ष - अध्यक्ष ; (2) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट न्यायिक सदस्य - सदस्य; (3) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट - सदस्य ; (4) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य-सदस्य।	लागू नहीं होता

टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3.- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. प्रधान निजी सचिव	1 (2016) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	वेतन बैंड-3; 15600- 39100/- रु. और ग्रेड वेतन 6600/- रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति:- निजी सचिव जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड-2, 9300-34800/- रु. में 4800/- रु. के ग्रेड वेतन में छह वर्ष की सेवा कर चुके हों। टिप्पण 1.- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2.- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति :- ऐसे अधिकारी जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बेचलर डिग्री धारण किए हुए हों और जो : क (1) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों या अधिकरणों में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; अथवा (2) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों या अधिकरण में वेतन बैंड-2, 9300-34800/- रु. में 4800/- रु. के ग्रेड वेतन में छह वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों, या 4600/- रु. के ग्रेड वेतन में सात वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों, या 4200/- रु. के ग्रेड वेतन में दस वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों; और ख. आशुलिपि (अंग्रेजी/हिंदी) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति रखते हों। अनिवार्य :- कम्प्यूटर प्रचालन का कार्य साधक ज्ञान वांछनीय :- किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 6 मास की अवधि का कम्प्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- (1) अधिकरण का अध्यक्ष - अध्यक्ष; (2) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट न्यायिक सदस्य - सदस्य; (3) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट - सदस्य; (4) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य।	लागू नहीं होता।

टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. हिंदी अधिकारी	1 (2016). * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	वेतन बैंड-2; 9300-34800/- रु. और ग्रेड वेतन 5400/- रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति:- हिंदी अनुवादक जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड-2, 9300-34800/- रु. में 4200/- रु. के ग्रेड वेतन में आठ वर्ष की सेवा कर चुके हों। टिप्पण 1.- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2.- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति :- (i) ऐसे अधिकारी जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) ऐसे अधिकारी जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में वेतन बैंड-2, 9300-34800/- रु. में 4800/- रु. ग्रेड वेतन में तीन वर्ष की नियमित सेवा या 4600/- रु. के ग्रेड वेतन में चार वर्ष की नियमित सेवा या 4200/- रु. के ग्रेड वेतन में आठ वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- (1) अधिकरण का अध्यक्ष - अध्यक्ष ; (2) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट न्यायिक सदस्य - सदस्य; (3) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट - सदस्य ; (4) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य-सदस्य।	लागू नहीं होता

टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3.- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7. लेखा अधिकारी	1 (2016). * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	वेतन बैंड-2; 9300-34800/- रु. और ग्रेड वेतन 5400/- रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति:- ऐसे लेखाकार जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड-1, 5200-20200/- रु. में 2400/- रु. के ग्रेड वेतन में अठारह वर्ष की सेवा कर चुके हों। टिप्पण 1.- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2.- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति :- (क) ऐसे अधिकारी जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि धारण किए हों और जो : (i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों ; या (ii) ऐसे अधिकारी जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में वेतन बैंड-2, 9300-34800/- रु. में 4800/- रु. ग्रेड वेतन में तीन वर्ष की नियमित सेवा या 4600/-रु. के ग्रेड वेतन में चार वर्ष की नियमित सेवा या 4200/-रु. के ग्रेड वेतन में आठ वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों । बांछनीय : (i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी भी संगठित लेखा विभाग द्वारा आयोजित अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण ; (ii) आईएसटीएम में रोकड़ और लेखा कार्य में प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक पूरा होना और रोकड़, लेखा तथा बजट कार्य का अनुभव ।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- (1) अधिकरण का अध्यक्ष अथवा एक न्यायिक सदस्य, अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - अध्यक्ष ; (2) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य - सदस्य (3) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य (4) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य ।	लागू नहीं होता ।

टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8. अनुभाग अधिकारी	11 (2016). * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	वेतन बैंड-2; 9300-34800/- रु. और ग्रेड वेतन 4800/- रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति:- ऐसे सहायक (न्यायिक) जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड-2, 9300-34800/- रु. में 4200/- रु. के ग्रेड वेतन में छह वर्ष की सेवा कर चुके हों। टिप्पण 1- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति :- (क) ऐसे अधिकारी जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों ; या (ख) ऐसे अधिकारी जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में वेतन बैंड-2, 9300-34800/- रु. में 4200/- रु. ग्रेड वेतन में छह वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों। अनिवार्य : कम्प्यूटर प्रचालन का ज्ञान	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- (1) अधिकरण का अध्यक्ष अथवा एक न्यायिक सदस्य, अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - अध्यक्ष ; (2) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट - सदस्य ; (3) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य (4) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य।	लागू नहीं होता।

टिप्पण 1- पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9. निजी सचिव	21 (2016). * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	वेतन बैंड-2; 9300-34800/- रु. और ग्रेड वेतन 4800/- रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति:- ऐसे आशुलिपिक ग्रेड-1 जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड-2, 9300-34800/-रु. में 4200/-रु. के ग्रेड वेतन में पांच वर्ष की सेवा कर चुके हों। टिप्पण 1- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति :- ऐसे अधिकारी जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बेचलर डिग्री धारण किए हों और जो - (क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; अथवा (ख) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में वेतन बैंड-2, 9300-34800/-रु. ग्रेड वेतन 4200/- रु. में कोर्ट मास्टर अथवा आशुलिपिक ग्रेड 2 के पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की गति रखते हों। अनिवार्य : किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से छह महीने की अवधि का कम्प्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। वांछनीय - विधि में डिग्री	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- (1) अधिकरण का अध्यक्ष अथवा एक न्यायिक सदस्य, अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - अध्यक्ष; (2) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट - सदस्य; (3) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य (4) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य।	लागू नहीं होता।

टिप्पण 1- पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10. सहायक (न्यायिक) #राष्ट्रीय हरित अधिकरण में सहायक के पदनाम को सहायक (न्यायिक) पढ़ा जाए।	17 (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	वेतन बैंड-2, 9300-34800/- रु. और ग्रेड वेतन 4200/- रु.	लागू नहीं होता	21 से 30 वर्ष के बीच (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में बैचलर डिग्री; और (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से छह मास की अवधि का कम्प्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। (iii) वांछनीय: उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन या पर्यावरण विज्ञान विषय के साथ डिग्री धारण की हो; या जिनके पास किसी सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या स्वायत्त निकाय या कानूनी निकाय में पर्यावरण के क्षेत्र में दो वर्ष कार्य-अनुभव हो।	लागू नहीं होता	दो वर्ष। टिप्पण : दो वर्ष की अवधि में, दो सप्ताह की अवधि के आजापक प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक पूरा किया जाना सम्मिलित है।

(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।	लागू नहीं होता	विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- (1) अधिकरण का अध्यक्ष या अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट न्यायिक सदस्य - अध्यक्ष ; (2) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट - सदस्य ; (3) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य। (4) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11. पुस्तकालयाध्यक्ष	5 (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा	लागू नहीं होता	वेतन बैंड-2, 9300-34800/- रु.	लागू नहीं होता	21 से 30 वर्ष के बीच (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों या आदेशों के	आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय	लागू नहीं होता	दो वर्ष। टिप्पण : दो वर्ष की अवधि में, दो सप्ताह

	सकता है		और ग्रेड वेतन 4200/-रु.	अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में बेचलर डिग्री; (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान अथवा शिक्षण संस्था के पुस्तकालय में दो वर्ष कार्य करने का अनुभव हो। बांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा।	की अवधि के आवश्यक आजापक प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक पूरा किया जाना सम्मिलित है।
--	---------	--	-------------------------	--	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लेवी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।	लागू नहीं होता	विभागीय प्रोन्नति समिति (पृष्ठ पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- (1) अधिकरण का अध्यक्ष या अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट न्यायिक सदस्य - अध्यक्ष ; (2) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट - सदस्य ; (3) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य। (4) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12. आशुलिपिक ग्रेड-I।	21 (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	वेतन बैंड-2, 9300-34800/- रु. और ग्रेड वेतन 4200/-रु.	लागू नहीं होता	21 से 30 वर्ष के बीच (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय,	आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बेचलर डिग्री; (ii) कौशल परीक्षा :- श्रुतलेखन: 100 शब्द प्रति मिनट की दर से 10 मिनट। प्रतिलिप्यांतरण : कम्प्यूटर पर 50 मिनट (अंग्रेजी); 65 मिनट (हिंदी)। (iii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से छह मास की अवधि का कम्प्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।	लागू नहीं होता	दो वर्ष। टिप्पण : दो वर्ष की अवधि में, दो सप्ताह की अवधि के आवश्यक आजापक प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक पूरा किया जाना सम्मिलित है।

					अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमानऔर निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	बांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में बेचलर डिग्री।		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
(i) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; (ii) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति:- ऐसे आशुलिपिक ग्रेड-1। जिन्होंने राष्ट्रीय हरित अधिकरण में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड-1, 5200-20200/-रु. और ग्रेड वेतन 2400/-रु. में दस वर्ष की सेवा की हो। टिप्पण 1.- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2.- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति :- ऐसे अधिकारी जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बेचलर डिग्री धारण किए हों और जो; (i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों या (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में वेतन बैंड-1, 5200-20200/-रु. और ग्रेड वेतन 2400/-रु. में आशुलिपिक ग्रेड-1। या समतुल्य पद पर दस वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों और आशुलेखन (अंग्रेजी/हिंदी) में 80 शब्द प्रति मिनट की गति रखते हों। बांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से छह मास की वधि का कम्प्यूटर प्रशिक्षण।	विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- (1) अधिकरण का अध्यक्ष या अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट न्यायिक सदस्य - अध्यक्ष ; (2) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट - सदस्य ; (3) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य। (4) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य	लागू नहीं होता।

टिप्पण 1- पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13. हिंदी अनुवादक	5 (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	वेतन बैंड-2, 9300-34800/- रु. और ग्रेड वेतन 4200/-रु.	लागू नहीं होता	23 से 32 वर्ष के बीच (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी या हिंदी विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री; (ii) हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालयों, जिनके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं, में हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	दो वर्ष। टिप्पण : दो वर्ष की अवधि में, दो सप्ताह की अवधि के आवश्यक आज्ञापक प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक पूरा किया जाना सम्मिलित है।

(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।	लागू नहीं होता	विभागीय प्रोन्नति समिति (पृष्ठ पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- (1) अधिकरण का अध्यक्ष या अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट न्यायिक सदस्य - अध्यक्ष ; (2) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य - सदस्य ; (3) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य। (4) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14. स्टाफ कार चालक (विशेष ग्रेड)	1 (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	वेतन बैंड-2, 9300-34800/- रु. और ग्रेड वेतन 4200/-रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति:- ऐसे स्टाफ कार चालक ग्रेड-1। जिन्होंने राष्ट्रीय हरित अधिकरण में वेतन बैंड-1, 5200-20200/-रु. और ग्रेड वेतन 2800/-रु. में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ट्रेड टेस्ट पास किया हो। टिप्पण 1.- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2.- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति :- ऐसे अधिकारी जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में नियमित आधार पर सद्दश पद धारण किए हों; या जिन्होंने केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में वेतन बैंड-1, 5200-20200/-रु. और ग्रेड वेतन 2800/-रु. में छह वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली हो और जिनके पास निम्नलिखित अर्हता और अनुभव हो : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक उत्तीर्ण; (ii) मोटर कार चलाने के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति; और (iii) मोटर कार चलाने का तीन वर्ष या इससे अधिक का अनुभव।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- (1) अधिकरण का अध्यक्ष या अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट न्यायिक सदस्य - अध्यक्ष; (2) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट - सदस्य; (3) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य। (4) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य	लागू नहीं होता
टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।			

टिप्पण 3- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15. स्टाफ कार चालक ग्रेड-।	2 (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	में वेतन बैंड-1, 5200-20200/- रु. और ग्रेड वेतन 2800/-रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति:- ऐसे स्टाफ कार चालक ग्रेड 2 जिन्होंने राष्ट्रीय हरित अधिकरण में वेतन बैंड-1, 5200-20200/-रु. और ग्रेड वेतन 2400/-रु. में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिन्होंने सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। टिप्पण 1- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति :- ऐसे अधिकारी जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या न्यायालय या अधिकरण में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या जिन्होंने केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या न्यायालय या अधिकरण में वेतन बैंड-1, 5200-20200/-रु. और ग्रेड वेतन 2400/-रु. में छह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और जिनके पास निम्नलिखित अर्हता और अनुभव हो : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक ; (ii) मोटर कार चलाने के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति; और (iii) मोटर कार चलाने का तीन वर्ष या इससे अधिक का अनुभव।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- (1) अधिकरण का अध्यक्ष या अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट न्यायिक सदस्य - अध्यक्ष; (2) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य; (3) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य। (4) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य	लागू नहीं होता।

टिप्पण 1- पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16. स्टाफ कार चालक ग्रेड-II।	6 (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	में वेतन बैंड-1, 5200-20200/- रु. और ग्रेड वेतन 2400/- रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति:- ऐसे स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड-I) जिन्होंने राष्ट्रीय हरित अधिकरण में वेतन बैंड-1, 5200-20200/- रु. और ग्रेड वेतन 1900/- रु. में नौ वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिन्होंने सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ट्रेड टेस्ट पास किया हो। टिप्पण 1.- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2.- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति :- ऐसे अधिकारी जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या न्यायालय या अधिकरण में नियमित आधार पर सद्गुण पद धारण किए हों; या जिन्होंने केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या न्यायालय या अधिकरण में वेतन बैंड-1, 5200-20200/- रु. और ग्रेड वेतन 1900/- रु. में आठ वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और जिनके पास निम्नलिखित अर्हता और अनुभव हो : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक ; (ii) मोटर कार चलाने के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति और (iii) मोटर कार चलाने का तीन वर्ष या इससे अधिक का अनुभव।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- (1) अधिकरण का अध्यक्ष या अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट न्यायिक सदस्य - अध्यक्ष; (2) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य; (3) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य। (4) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य	लागू नहीं होता।

टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17. लेखाकार	5 (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	वेतन बैंड-1, 5200-20200/- रु. और ग्रेड वेतन 2400/-रु.	लागू नहीं होता	21 से 30 वर्ष के बीच (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य (बी.कॉम.) में बेचलर डिग्री; (ii) किसी सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकाय में रोकड़, लेखा और बजट कार्य का दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण : 1- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में चयन समिति के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण : 2- अनुभव संबंधी अर्हता चयन समिति के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी चरण पर चयन समिति की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष। टिप्पण : दो वर्ष की अवधि में, दो सप्ताह की अवधि के आवश्यक आज्ञापक प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक पूरा किया जाना सम्मिलित है।

(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।	लागू नहीं होता	विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- (1) अधिकरण का अध्यक्ष या अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट न्यायिक सदस्य - अध्यक्ष; (2) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट - सदस्य; (3) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य। (4) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18. आशुलिपिक ग्रेड-II।	12 (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	वेतन बैंड-1, 5200-20200/- रु. और ग्रेड वेतन 2400/-रु.	लागू नहीं होता	21 से 27 वर्ष के बीच (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमानऔर निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। कौशल परीक्षा :- श्रुतलेखन: 80 शब्द प्रति मिनट की दर से 10 मिनट। प्रतिलिप्यांतरण : कम्प्यूटर पर 50 मिनट (अंग्रेजी); 65 मिनट (हिंदी)।	लागू नहीं होता	दो वर्ष। टिप्पण : दो वर्ष की अवधि में, दो सप्ताह की अवधि के आवश्यक आजापक प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक पूरा किया जाना सम्मिलित है।

(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।	लागू नहीं होता	विभागीय प्रोन्नति समिति (पृष्ठ पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- (1) अधिकरण का अध्यक्ष या अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट न्यायिक सदस्य - अध्यक्ष ; (2) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट - सदस्य ; (3) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य। (4) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
19. स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड)	12 (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	वेतन बैंड-1, 5200-20200/- रु. और ग्रेड वेतन 1900/-रु.	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 1- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए	आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण; (ii) मोटर कार चलाने के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति; और (iii) मोटर कार चलाने का तीन वर्ष या इससे अधिक का अनुभव। (iv) मोटर अभियांत्रिकी का ज्ञान (अभ्यर्थी को वाहन में आने वाली	लागू नहीं होता	दो वर्ष। टिप्पण : दो वर्ष की अवधि में, दो सप्ताह की अवधि के आजापक प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक पूरा किया जाना सम्मिलित है।

				नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2- रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती की स्थिति में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय को नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा गया हो।	छोटी-मोटी कमी को दूर करने में सक्षम होना चाहिए। वांछनीय : मोटर यांत्रिकी का ज्ञान (अभ्यर्थी को वाहन में आने वाली छोटी-मोटी कमी को दूर करने में सक्षम होना चाहिए)।		
--	--	--	--	---	--	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- (1) अधिकरण का अध्यक्ष या अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट न्यायिक सदस्य - अध्यक्ष ; (2) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट - सदस्य ; (3) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य । (4) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा.सं. 17(23)/2010-पीएल/एनजीटी (भाग)]

अरूण कुमार मेहता, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-2, खंड-3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 458 (अ), तारीख 17 जून, 2011 के तहत प्रकाशित हुए थे और तत्पश्चात इनमें अधिसूचना सं. सा.का.नि. 440 (अ), तारीख 11 जून, 2012, सा.का.नि. 260 (अ), तारीख 17 अप्रैल, 2013 और सा.का.नि. 482 (अ), तारीख 12 जुलाई, 2013 के द्वारा संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 2016

G.S.R. 437(E).—In exercise of powers conferred by section 12 and section 13 read with clause (h) of section 35 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Green Tribunal (Recruitment, Salaries and other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Rules, 2011, namely:-

1. **Short title and commencement:** (1) These rules may be called the National Green Tribunal (Recruitment, Salaries and other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Green Tribunal (Recruitment, Salaries and other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Rules, 2011, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non selection post.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Registrar	5(2016). * Subject to variation depending upon work load	Not applicable	Pay band - 4; Rs.37400-67000/- plus grade pay of Rs. 8700/-.	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation	Promotion:- Deputy Registrar with five years of service in pay band -3, Rs. 15600-39100/- with grade pay of Rs. 7600/-, rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Green Tribunal. Note 1.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Chairperson of the Tribunal- Chairman; (2) Judicial Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal- Member; (3) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee -Member; (4) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal- Member	Not applicable

	eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2.- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of that Pay Commission. Deputation:- Officers possessing a Bachelors degree in law from a recognised university and holding: (a) analogous post on regular basis in Central Government or State Government or courts or tribunals; or (b) post in Central Government or State Government or courts or tribunals with five years regular service in pay band -3, Rs. 15600-39100/- with grade pay of Rs.7600/-; or (c) post in Central Government or State Government or courts or tribunals, with ten years regular service in pay band -3, Rs.15600-39100/- with grade pay of Rs.6600/-.		
--	--	--	--

Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3.- For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendation of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be the services rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post, for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. Deputy Registrar.	5 (2016). *Subject to variation depending upon work load	Not applicable.	Pay band - 3, Rs. 15600-39100/- plus grade pay of Rs. 7600/-.	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation.	Promotion:- Assistant Registrar with five years service in pay band-3, Rs. 15600-39100/- with grade pay of Rs. 6600/-, rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Green Tribunal. Note 1.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2.- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of that Pay Commission. Deputation:- Officers possessing Bachelors degree in Law from a recognised university and holding; (a) analogous post on regular basis in Central Government or State Government or courts or tribunals; or (b) post in Central Government or State Government or courts or tribunals, with five years regular service in pay band -3, Rs. 15600-39100/- with grade pay of Rs. 6600/-.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1)Chairperson of the Tribunal-Chairman; (2) Judicial Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal- Member; (3)Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee –Member; (4)Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal- Member.	Not applicable.

Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3.- For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendation of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be the services rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post, for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. Assistant Registrar.	5 (2016). *Subject to variation depending upon work load	Not applicable.	Pay band-3, Rs. 15600-39100/- plus grade pay of Rs.6600/-.	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation.	Promotion:- Officers possessing Bachelors Law degree with five years of service in pay band- 2, Rs.9300-34800/- with grade pay of Rs. 5400/- or six years of service in pay band-2 Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4800/-, rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Green Tribunal. Note 1.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2.- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of that Pay Commission. Deputation:- Officers possessing a Bachelors degree in Law from a recognised university and holding: (a) analogous post on regular basis in Central Government or State Government or courts or tribunals; or (b) post in Central Government or State Government or courts or tribunals with five years regular service in pay band-2, Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 5400/- or six years regular service in grade pay of Rs. 4800/- or seven years of regular service in grade pay of Rs. 4600/- or ten years of regular service in grade pay of Rs. 4200/-.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1)Chairperson of the Tribunal- Chairman; (2) Judicial Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal- Member; (3)Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee –Member; (4)Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal- Member.	Not applicable.
Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2.- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Note 3.- For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January,2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendation of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be the services rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post, for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4. Deputy Controller of Accounts.	1 (2016). * Subject to variation depending upon workload	Not applicable.	Pay band-3, Rs. 15600-39100/- plus grade pay of Rs. 6600/-.	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation.	Promotion:- Accounts Officer with five years of service in pay band-2, Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 5400/-, rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Green Tribunal. Note 1.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2.- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of that Pay Commission. Deputation:- Officers working as Deputy Controller of Accounts or equivalent in the Central Government or State Government or court or tribunal in the grade pay of Rs. 6600/- or officers in grade pay Rs. 5400/- with five years regular service or grade pay of Rs. 4800/- with six years or seven years of regular service in the grade pay of Rs. 4600/- or in the grade pay of Rs. 4200/- with ten years of regular service in the field of accounts, budget, cash in a Government office or public sector undertaking or autonomous body or statutory body.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Chairperson of the Tribunal- Chairman; (2) Judicial Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal- Member; (3) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee -Member; (4) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal- Member.	Not applicable.

Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3.- For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendation of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be the services rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post, for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. Principal Private Secretary.	1(2016). * Subject to variation depending upon workload	Not applicable.	Pay band-3, Rs. 15600-39100/- plus grade pay of Rs. 6600/-.	Non - selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation.	Promotion:- Private Secretary with six years of service in pay band-2, Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4800/- rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Green Tribunal. Note 1.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2.- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of that Pay Commission. Deputation:- Officers possessing a Bachelor degree from a recognised university and holding: A. (1) analogous post on regular basis in Central Government or State Government or courts or tribunals; or (2) post in Central Government or State Government or courts or tribunal with six years regular service in pay band-2, Rs. 9300-34800/- in the grade pay of Rs. 4800/- or seven years of regular service, or in grade pay of Rs. 4600/- or ten years of regular service in grade pay of Rs. 4200/-; and B. possessing speed of 100 words per minute in short hand (English/Hindi) Essential:- Working knowledge of computer operations Desirable:- Computer Training Course of six months' duration from a recognised institution.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Chairperson of the Tribunal- Chairman; (2) Judicial Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal-Member; (3) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee –Member; (4) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal-Member.	Not applicable.

Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3.- For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendation of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be the services rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post, for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. Hindi Officer.	1 (2016). * Subject to variation depending upon workload	Not applicable.	Pay band-2, Rs. 9300-34800/- plus grade pay of Rs. 5400/-.	Non-selection	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation.	Promotion:- Hindi Translator with eight years of service in pay band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200/- rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Green Tribunal. Note 1.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2.- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of that Pay Commission. Deputation:- (i) Officers holding analogous post on regular basis in Central Government or State Government or courts or tribunals; or (ii) officers holding the posts in pay band-2, Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs 4800/- with three years regular service or four years of regular service in grade pay of Rs. 4600/- or eight years of regular service in grade pay of Rs. 4200/- in the respective grade pay in Central Government or State Governments or courts or tribunals.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman; (2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee-Member; (3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member; (4) Registrar of the Tribunal – Member.	Not applicable.

Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3.- For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendation of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be the services rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post, for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7. Accounts Officer.	1(2016). * Subject to variation depending upon workload	Not applicable.	Pay band-2, Rs. 9300-34800/- plus grade pay of Rs. 5400/-	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation.	Promotion:- Accountant with eighteen years of service in pay band-1, Rs. 5200-20200/- with grade pay of Rs. 2400/- rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Green Tribunal. Note 1.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2.- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of that Pay Commission. Deputation:- (a) Officers possessing a Bachelor degree from a recognised university and holding: (i) analogous post on regular basis in Central Governments or State Government or courts or tribunals; or (ii) post in pay band-2 Rs. 9300-34800/- with three years regular service or four years of regular service in grade pay of Rs. 4600/- or eight years of regular service in grade pay of Rs. 4200/- grade pay Central Government or State Governments or courts or tribunals. Desirable: (i) A pass in Subordinate Account Service examination conducted by any of the Organised Accounts Departments of the Central Government or State Government; (ii) successful completion of training in cash and accounts work in ISTM and experience in handling cash; accounts and budget work.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman; (2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee-Member; (3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member; (4) Registrar of the Tribunal – Member.	Not applicable.

Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3.- For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendation of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be the services rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post, for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8. Section Officer.	11(2016). * Subject to variation depending upon workload	Not applicable.	Pay band-2, Rs. 9300-34800/- plus grade pay of Rs. 4800/-.	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation.	Promotion:- Assistant (Judicial) with six years of service in pay band-2, Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4200/- rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Green Tribunal. Note 1.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2.- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of that Pay Commission. Deputation:- Officers holding:- (a) analogous post on regular basis in the Central Government or State Governments or courts or tribunals; or (b) post in Central Government or State Government or courts or tribunals, with six years of regular service in pay band-2, Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4200/-. Essential:- Knowledge in computer operation.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman; (2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee-Member; (3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member; (4) Registrar of the Tribunal – Member.	Not applicable.
Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2.- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Note 3.- For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendation of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be the services rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post, for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9. Private Secretary.	21(2016). * Subject to variation depending upon workload	Not applicable.	Pay band- 2, Rs. 9300- 34800/- plus grade pay of Rs. 4800/-.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation.	Promotion:- Stenographer Grade – I with five year of service in pay band-2, Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4200/- rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Green Tribunal. Note 1.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2.- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of that Pay Commission. Deputation:- Officers possessing a Bachelor degree from recognised university and holding:- (i) analogous post on regular basis in the Central Government or State Government or courts or tribunals, or (b) the post of Court Master or Stenographer Grade-II with five years regular service in pay band-2, Rs. 9300-34800/- with grade pay Rs 4200/- and possessing a speed of 100 words per minute in shorthand and 40 words per minute in type writing (English) in Central Government or State Governments or courts or tribunals. Essential:- Computer Training Course of six months' duration from a recognised institute. Desirable:- Degree in law.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman; (2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee-Member; (3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member; (4) Registrar of the Tribunal – Member.	Not applicable.

Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3.- For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendation of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be the services rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post, for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10. Assistant (Judicial). # The Nomenclature of posts of Assistant in the National Green tribunal may be read as Assistant (Judicial)	17 (2016). * Subject to variation depending upon workload	Not applicable.	Pay band-2, Rs. 9300- 34800/- plus grade pay of Rs. 4200/-.	Not applicable	Between 21 and 30 years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government). Note.- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)	Essential:- (i) Bachelor Degree in Law from a recognised university; and (ii) Computer Training Course of six months duration from a recognised institute. (iii) Desirable:- Preference shall be given to candidates possessing a degree with Environmental Studies or Environmental Science as one of the subjects; or having two years working experience in the field of environment in a Government Office or public sector undertaking or autonomous body or statutory body.	Not applicable.	Two years. Note.- The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.

(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment. Note.- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government or State Government or Courts or Tribunals.	Not applicable.	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman; (2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee –Member; (3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member; (4) Registrar of the Tribunal – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11. Librarian.	5 (2016). * Subject to variation depending upon workload.	Not applicable.	Pay band-2, Rs. 9300-34800/- plus grade pay of Rs. 4200/-.	Not applicable.	Between 21 and 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government) Note:- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)	Essential:- (i) Bachelors Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised university or Institute; (ii) two years' experience in a library under Central or State Government or autonomous or statutory organisation or public sector undertaking or university or recognised research or educational institute. Desirable:- Diploma in Computer Applications from a recognised institute.	Not applicable.	Two years. Note.- The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.

(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government or State Government or Courts or Tribunals	Not applicable	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman; (2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee –Member; (3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member; (4) Registrar of the Tribunal – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12. Stenographer Grade – I.	21* (2016). * Subject to variation depending upon workload	Not applicable.	Pay band-2, Rs. 9300- 34800/- plus grade pay of Rs. 4200/-.	Not applicable	Between 21 and 30 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government) Note.- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)	Essential: (i) Bachelors degree from a recognised university. (ii) Skill Test:- Dictation: 10 Mts @ 100 w.p.m. Transcription:- 50 mts (English); 65 mts (Hindi) on computer (iii) Computer training course of six months duration from a recognised institute. Desirable:- Bachelor Degree in Law from a recognised university.	Not applicable.	Two years for Direct Recruits. Note.- The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.

(10)	(11)	(12)	(13)
(i) 50 percent by direct recruitment; (ii) 50 percent by promotion failing which by deputation.	Promotion:- From amongst Stenographer Grade –II with ten years of service in pay band-1, Rs. 5200-20200/- with grade pay of Rs. 2400/- rendered after appointment thereto on a regular basis in the National Green Tribunal. Note 1.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2.- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of that Pay Commission. Deputation:- Officers possessing bachelor degree from a recognised university and holding; (i) analogous post on regular basis in the Central Government or State Governments or courts or tribunals,	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation and promotion) consisting of:- (1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman; (2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee –Member; (3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member; (4) Registrar of the Tribunal – Member.	Not applicable.

	(ii) The post of Stenographer Grade-I or equivalent post in Central Government or State Government or courts or tribunals, with ten years of regular service in the pay band-1, Rs. 5200-20200/- of grade pay- Rs. 2400/- and possessing speed of 80 words per minute in short hand (English/Hindi). Desirable:- Computer training of six months' duration from a recognised institute.		
Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.			
Note 2.- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.			
Note 3.- For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendation of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be the services rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post, for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13. Hindi Translator.	5(2016). * Subject to variation depending upon workload	Not applicable.	Pay band-2 Rs. 9300-34800/- plus grade pay of Rs. 4200/-.	Not applicable	Between 23 and 32 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government) Note:- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)	Essential Qualification:- (i) Master's Degree in Hindi or English with English or Hindi as compulsory or elective subject or as medium of examination at Degree level from a recognised university; (ii) Recognised Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice-versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central Government or State Government including Government of India undertakings.	Not applicable.	Two years. Note.- The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.

(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment. Note.- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government or State Government or Courts or Tribunals	Not applicable	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman; (2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee-Member; (3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member; (4) Registrar of the Tribunal – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14. Staff Car Driver - (Special Grade)	1(2016). *Subject to variation depending upon workload	Not applicable.	Pay band-2 Rs. 9300-34800/- plus grade pay of Rs. 4200/-	Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation.	Promotion:- Staff Car Driver - Grade-II in the National Green Tribunal with three years regular service in pay band-I, Rs. 5200-20200/- with grade pay of Rs.2800/- and have passed the trade test specified by the Government. Note 1.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2.- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of that Pay Commission. Deputation:- Officers holding analogous post on regular basis in Central Government or State Government or courts or tribunals; or plus six years regular service in pay band – I, Rs 5200-20200/- plus grade pay – Rs. 2800/- in Central Government or State Government or courts or tribunals and having the following qualification and experience:	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman; (2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee-Member; (3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member; (4) Registrar of the Tribunal – Member.	Not applicable.

	(i) Matriculation from a recognised Board; (ii) valid driving licence for motor cars; and (iii) experience of driving a motor car for three years or more.		
--	--	--	--

Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3.- For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendation of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be the services rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post, for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15. Staff Car Driver – Grade- I	2(2016). *Subject to variation depending upon workload	Not applicable	Pay band- 1 Rs.5200-20200/- plus grade pay of Rs. 2800/-.	Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation.	Promotion:- Staff Car Driver - Grade-II in the National Green Tribunal with six years regular service in pay band-1, Rs. 5200-20200/- plus grade pay of Rs. 2400/- and have passed the trade test specified by the Government. Note 1.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2.- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of that Pay Commission. Deputation:- Persons holding analogous post on regular basis in Central Government or State Governments or courts or tribunals; or six years of regular service in pay band – I, Rs. 5200-20200/- plus grade pay of Rs. 2400/- in Central Government or State Governments or courts or tribunals and having the following qualification and experience: Essential: (i) Matriculation from a recognised Board; (ii) valid driving licence for motor cars; and (iii) experience of driving a motor car for	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman; (2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee-Member; (3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member; (4) Registrar of the Tribunal – Member.	Not applicable.

	three years or more.		
--	----------------------	--	--

Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3.- For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendation of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be the services rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post, for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16. Staff Car Driver – Grade –II	6(2016). * Subject to variation depending upon workload	Not applicable.	Pay band- 1 Rs.5200-20200/- plus grade pay of Rs. 2400/-	Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation.	Promotion:- Staff Car Driver (Ordinary Grade) in the National Green Tribunal with nine years regular service in pay band -1, Rs. 5200-20200/- plus grade pay of Rs. 1900/- and have passed the trade test specified by the Government. Note 1.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2.- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of that Pay Commission. Deputation:- Officers holding analogous post on regular basis in Central Government or State Governments or courts or tribunals; or eight years regular service in pay band – I, Rs. 5200-20200/- plus grade pay of Rs. 1900/- in Central Government or State Governments or courts or tribunals and having the following qualification and experience. Essential:- (i) Matriculation from a recognised Board; (ii) valid driving licence for motor cars; and (iii) experience of driving a motor car for three years or more.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman; (2) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member; (3) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee-Member; (4) Registrar of the Tribunal – Member.	Not applicable.

Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily be three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3.- For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendation of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be the services rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post, for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17. Accountant	5(2016). *Subject to variation depending upon workload	Not applicable	Pay band-1, Rs. 5200- 20200/- plus grade pay of Rs. 2400/-	Not applicable	Between 21 and 30 years (Relaxable for Government servant upto forty years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government) Note.- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)	(i) Bachelor of Commerce (B.Com) degree from a recognised university; (ii) two years experience in cash, account and budget work in a Government office or public sector undertaking or autonomous body or statutory body. Note 1.- Qualification are relaxable at the discretion of Selection Committee in the case of candidates who are otherwise well qualified. Note 2.- Qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Selection Committee in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Selection Committee is of the opinion that sufficient	Not applicable	Two years. Note.- The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration

						number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment. Note.- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government or State Government or Courts or Tribunals.	Not applicable	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman; (2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee-Member; (3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member; (4) Registrar of the Tribunal – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18. Stenographer Grade – II	12(2016). * Subject to variation depending upon workload	Not applicable.	Pay band-1, Rs. 5200-20200/- plus grade pay of Rs. 2400/-.	Not applicable	Between 21 and 27 years (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government) Note.- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim,	12 th class pass from a recognised Board. Skill Test Norms:- Dictation:- 10 mts @ 80 w.p.m Transcription:- 50 mts (English); 65 mts (Hindi) on computer	Not applicable.	Two years. Note.- The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration

					Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government or State Government or Courts or Tribunals.	Not applicable.	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman; (2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee-Member; (3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member; (4) Registrar of the Tribunal – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
19. Staff Car Driver (Ordinary Grade)	12 (2016). *Subject to variation depending upon workload	Not applicable.	Pay band-1, Rs. 5200-20200/- plus grade pay of Rs. 1900/-.	Not applicable	Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with (the instructions or orders issued by the Central Government) Note 1.- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or	Essential:- (i) Matriculation from a recognised Board; (ii) Possession of a valid driving licence for motor cars; (iii) Experience of driving a motor car for three years or more; and (iv) Knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor defects in vehicle). Desirable:- knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to rectify the minor defects in vehicles).	Not applicable.	Two years for direct recruits. Note.- The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration

					Lakshadweep) Note 2.- In case of the recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which Employment Exchange is asked to submit the names.			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment.		Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman; (2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee-Member; (3) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member; (4) Registrar of the Tribunal – Member.	Not applicable”

[F. No. 17(23)/2010-PL/NGT (pt.)]

ARUN KUMAR MEHTA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R 458 (E), dated, the 17th June, 2011 and were subsequently amended *vide* notification G.S.R. 440(E), dated the 11th June, 2012, G.S.R. 260 (E), dated the 17th April, 2013 and G.S.R. 482(E), dated the 12th July, 2013.